

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 415/2026

- 1. Mamta Sharma Wife of Shri Bharat Bhushan Sharma, Resident of Stanand Colony, Mandawar, District Dausa, Rajasthan.
- 2. Mithilesh Garg Wife of Vinod Garg, Resident of Surya Nagar Colony, Tehsil Mandawar, District Dausa.
- 3. Bharat Bhushan Sharma Son of Shri Satyanarayan Sharma, Resident of Stanand Colony, Mandawar, District Dausa, Rajasthan.
- 4. Vinod Garg Son of Shri Laxminarayan Garg, Resident of Surya Nagar Colony, Tehsil Mandawar, District Dausa.

----Accused-Petitioners

Versus

- 1. State Of Rajasthan, Through P.P.
- 2. Nirma Meena Wife of Shri Ramesh Chand Meena, Resident of Ajaynagar, Sethi Petrol Pump Ki Piche, Mandawar, District Dausa, Rajasthan.

----Respondent

----Complainant-Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Kumar Parashar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, Dy. GA Mr. Shubham Sain, AAAG
For Complainant(s)	:	---

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

18/02/2026

1 याचीगण-अभियुक्तगण की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **295/2025** पुलिस थाना- **मण्डावर जिला- दौसा**, अपराध अंतर्गत धारा **351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता** एवं धारा **3(2)(va), 3(1)(r), 3(2)(s)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन,

2015) एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

- 2** तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या-01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।
- 3** विद्वान् अधिवक्ता याचीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याचीगण-अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें उक्त प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है, उनका कथन है कि प्रस्तुत मामले में तथाकथित घटना न्यायालय के नाजिर की उपस्थिति में होना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है, नाजिर ने अपनी रिपोर्ट में याचीगण-अभियुक्तगण द्वारा उन्हें धमकी देने अथवा परेशान करने के बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं किए हैं एवं उसने अपनी रिपोर्ट में परिवादिया पक्ष को जातिसूचक शब्दों से संबोधित करने बाबत् भी कोई तथ्य अंकित नहीं किए हैं, उनका कथन है कि याचीगण-अभियुक्तगण अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याचीगण-अभियुक्तगण को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।
- 4** विद्वान अधिवक्ता याचीगण-अभियुक्तगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सहायक नाजिर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली रहे।
- 5** विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने विधिसम्मत उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।
- 6** मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।
- 7** हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याचीगण-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण-अभियुक्तगण को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वे दिनांक **27.02.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग लें तो उनके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **295/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक

कोई बलपूर्वक कार्यवाही **(No Coercive Action)** नहीं की जावे, याचीगण-अभियुक्तगण के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

- 8** अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।
- 9** प्रकरण **3 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J